



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237172
CG-DL-E-07072022-237172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2972]
No. 2972]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3122(अ).— का.आ. 1860 (अ) दिनांक 19 अप्रैल 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में प्रोजेक्ट का नाम अनजाने में आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 214 ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं 216) के कि.मी. 10.800 से कि. मी. 23.200 तक के रूप में उल्लेख किया गया है

अतः का.आ. 1860 (अ) दिनांक 19 अप्रैल 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 1 को " उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ .2791.(अ) दिनांक 12.07.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 214 ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.216) के कि.मी. 10.800 से कि.मी. 23.200 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित /4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी तक प्रकाशित किया गया था;" के बजाय "केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ .2791.(अ) दिनांक 12.07.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में रारा-216 पर नरसापुरम शहर के लिए बाईपास सड़क के निर्माण के लिए रारा-214 (नया रारा-216) के कि.मी.126 से शुरू एसएच -100 पर

मल्कीपुरम गांव तक ग्रीनफील्ड से गुजरने वाले चिनचिनाडा पुल के पास, मल्कीपुरम पर 2 किमी लंबाई के लिए एसएच - 100 का अनुसरण करना और फिर से वसिष्ठ गोदावरी नदी के पार ब्रिज के प्रावधान के साथ ग्रीनफील्ड के माध्यम से पीछे हटना (बांध के सिंचाई श्रृंखला 86 के उपर) पेडलंका गाँव, रमन्नापलेम गाँव ग्रीनफील्ड क्षेत्र के जुड़ाव और आंध्र प्रदेश राज्य में 23.200 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए मौजूदा रारा-216 के एल एच एस (तटीय पक्ष) पर टोल प्लाजा से पहले रारा-214ए (नया रारा-216) के 10.8 किमी पर समाप्त होने वाले भू-खण्ड के अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।;" पढ़ा जाए।

[फा. सं. RO/VJA/AnnualPlan2020-21Pt-2/3D Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

3डी . की प्रस्तावना में परियोजना का नाम भिन्न प्रकाशित होने के कारण

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

S.O. 3122(E).— In the Notification published vide S.O. number 1860 (E) dated 19 April 2022 the name of project is inadvertently mentioned as “**the stretch of land from Km 10.800 to km. 23.200 of NH-214 A (New NH-216) in the District WEST GODAVARI in the State of ANDHRA PRADESH**”

Therefore, the para 1 of the notification published vide S.O. number 1860 (E) dated 19 April 2022 may be read as “ **Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number SO. 2791 (E) Dated 12.07.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc.) construction of bypass road to Narsapuram town on NH-216 starting from Km.126 of NH-214 (New NH-216) near approach of Chinchinada bridge passing through Greenfield up to Malkipuram Village on SH-100, following SH-100 for 2km. length on Malkipuram and again traversing through Greenfield with provision of Bridge across river Vasista Godavari (Sitting at Irrigation chainage 86 of bund) connecting Pedalanka Village, Ramannapalem Village Greenfield area and ending at Km. 10.8 of NH-214A (New NH-216) before toll plaza on LHS (Coastal side) of existing NH-216 for total length of 23.200 Km. in the state of Andhra Pradesh) maintenance, management and operation in the district of WEST GODAVARI in the State of ANDHRA PRADESH**” instead of “Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number SO. 2791 (E) Dated 12.07.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. NH-214 A (New NH-216) on the stretch of land from Km 10.800 to km. 23.200 in the District of WEST GODAVARI in the State Of ANDHRA PRADESH under sub-section(3) of section 3A of the said Act;

[F. No. RO/VJA/AnnualPlan2020-21Pt-2/3D Corr.]

RAJESH GUPTA, Director

3D. Due to the different publication of the name of the project in the preamble of